न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय, सीकर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव (आर.ए.एस)

दावा संख्या 55/2019

प्रमोद कुमार पुत्र हरफूल जाति जाट निवासी ग्राम केशरनगर, कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर राजस्थान

– वादी –

बनाम

1. हरफूल पुत्र पीरागाराम जाति जाट निवासी ग्राम केशरनगर, कोलीड़ा तहसील व जिला सीकर राजस्थान
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र हरफूल जाति जाट निवासी ग्राम केशरनगर, कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर राजस्थान
2. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोद जिला सीकर

– प्रतिवादीगण –

दावा बाबत उद्घोषणा, अधिकार व स्थायी निषेधाज्ञा अं0 धरा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित वकील वादी – श्री राजेश माथूर, सुनिता कुमारी

वकील प्रतिवादी – श्री राजेश कुमार बेरवाल

निर्णय

दिनांक – 9.10.2019

वकील वादी श्री राजेश माथुर ने एक दावा प्रस्तुत किया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम केशरनगर, पटवार हल्का कोलिड़ा तहसील सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 2517/962, 2587/966, 2588/966 2589/978, 2590/978 965,, 967, 968, 971 किता 9 कुल रकबा 5.3400 है0 एवं ख. नं. 113, 433 किता 2 कुल रकबा 6.76 है0 अवस्थित है। भूमियों के पुराने खसरा नम्बर 582 से 585, 388 से 390, 392, 186 तथा 64 मीन रहे हैं। उक्त कृषि भूमियों में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हक व हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमियां पैतृक कृषि भूमियां है जो प्रारम्भ में वादी के पड़दादा कुशला वल्द लिखमा के खातेदारी में दर्ज थी उसके बाद उनके दो पुत्र बालूराम व पिरागाराम के दर्ज की गई। पिरागाराम की मृत्यु होने पर विरासतन वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 व दादी पतासी के खातेदारी दर्ज हुई । भूमियों का विभाजन डिक्री से होकर ख0 नं. 112 रकबा 6.69 है0 सम्पूर्ण भगीरथमल पुत्र बालूराम के हिस्से में रहा जबकि खसरा नम्बर 113 रकबा 6.72 है0 व 433 रकबा 0.04 है0 प्रतिवादी संख्या 1 व

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

दादी पतासी के हिस्से में रहा। इसी प्रकार डिक्री से खसरा नम्बर 964, 963, 2516/962 भागीरथ पुत्र बालूराम के हिस्से में आये तथा शेष खसरा नम्बर 965,966,967,968,971,978 व 2517/962 वादी के पिता हरफूल सिंह व दादी पतासी के खातेदारी में रहे। वादी की दादी पतासी की मृत्यु के पश्चात उसका हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी बहन रामीदेवी के हक व हिस्से में दर्ज की गई । प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से में से 1/2 हिस्से की भूमि का हक त्याग अपनी बहन रामीदेवी को कर दिया जिसके तहत रामादेवी 1/2 भाग की खातेदर बनी। रामीदेवी द्वारा जरिये दान पत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को वादग्रस्त भूमियों का 1/4–1/4 हिस्सा दान कर दिया जिससे वे 1/4–1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार बने। वादी प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से में से 1/6 हिस्सा उदघोषित करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 का भी उक्त भूमियों में समान हित निहित है। वर्तमान में बाहर कमाने खाने गया हुआ होने के कारण वाद प्रस्तुत नहीं कर रहा है किन्तु उसको वादी के रूप में प्रतिस्थापित होने का हक व अधिकार रहेगा। प्रतिवादी सं. 1 वादग्रस्त भूमियों का नाप जोख किन्ही भूमाफिया प्रकृति के लोगो से करवा रहे थे तो वादी ने मना किया तो उन्होने कहा कि वे भूमि को विक्रित करके रहेगें। यदि वे ऐसा करने में कामयाब हो गये तो वादी को असीम क्षति होगी। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम केशरनगर, पटवार हल्का कोलिड़ा तहसील सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2517/962, 2587/966, 2588/966 2589/978, 2590/978 965,, 967, 968, 971 किता 9 कुल रकबा 5.3400 है0 एवं ख. नं. 113, 433 किता 2 कुल रकबा 6.76 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से में वादी को 1/6 व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रति0 सं0 3 बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जरिये वकील उपस्थित आये तथा ईकबाली जवाबदावा पेश किया तथा बाद में राजीनामा भी पेश किया ।

प्रकरण में बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई । वकील प्रतिवादीगण ने दावा वादी स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया । राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2075–78 के अनुसार ग्राम केशरनगर, पटवार हल्का कोलिड़ा तहसील सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2517/962, 2587/966, 2588/966 2589/978, 2590/978 965,, 967, 968, 971 किता 9 कुल रकबा 5.3400 है0 एवं ख. नं. 113, 433 किता 2 कुल रकबा 6.76 है0 जिसकी खतेदारी नरेन्द्र कुमार पुत्र हरफूल हि0 1/4, प्रमोद कुमार पुत्र हरफूल हि0 1/4 तथा हरफुल पुत्र

Ri'4

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

पिरागाराम हि0 1/2 के दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड नामा0 सं. 6 के द्वारा भूमि कुशलाराम के फौत होने पर उसके पुत्र बालूराम के हिस्से में आयी है तथा नामा0 सं. 959 से पुराने खसरा नम्बर 409 व 421 की खातेदारी 1/2 भागीरथ दत्तक पुत्र बालराम के व 1/2 हिस्से की पिरागाराम पुत्र कुशलाराम की खातेदारी में प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त भूमियां पैतृक होना प्रमाणित है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। उपर्युक्त विवेचन एवं रिकार्ड से यह प्रमाणित है कि उपर्युक्त भूमियां पैत्क कृषि भूमियां है । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का बाई बर्थ पृथक– पृथक नोशनल शेयर 1/6 हिस्सा बनता है। प्रतिवादीगण को वाद स्वीकार किये जाने में कोई एतराज नहीं है।

आज्ञा

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को ग्राम केशरनगर, पटवार हल्का कोलिड़ा तहसील सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2517/962, 2587/966, 2588/966 2589/978, 2590/978 965,, 967, 968, 971 किता 9 कुल रकबा 5.3400 है0 एवं ख. नं. 113, 433 किता 2 कुल रकबा 6.76 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज 1/2 हिस्सा में से 1/3–1/3 हिस्से का (अर्थात सम्पूर्ण भूमि के 1/6 – 1/6 हिस्से का) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष 1/3 हिस्सा (अर्थात सम्पूर्ण भूमि का 1/6 हिस्सा) प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रहेगा। डिक्री जारी हो। तहसीलदार इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

निर्णय आज दिनांक 9.10.2019 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर